संख्या-28/2018/1114/60-3-2018-13(सा0)/17

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के क्रियान्वयन के लिये धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-313/निदे0म0क0/अनुदान/महिला शक्ति केन्द्र/2018-19, दिनांक 04.07.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के क्रियान्वयन के लिये अपेक्षित राज्यांश की धनराशि के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी तथा जिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद में स्वीकृति दी गयी है।

(5) विभाग द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्कीम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-03-स्टेट रिसोर्स सेन्टर फॉर वूमेन एण्ड चाइल्ड-42-अन्य व्यय" में उपलब्ध बचत की धनराशि को लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-0206-महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना (के. 60-रा. 40)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-295/ई-4-दस-2018, दिनांक 13.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

संख्या-1114 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।